जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 छोटूराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा गोराऊ के खेत खसरा नम्बर 747 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से रकबा 0.8802 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 बजरंग के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा गोराऊ के खेत खसरा नम्बर 747 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से रकबा 0.8802 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादी संख्या 3 दीपाराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा गोराऊ के खेत खसरा नम्बर 747 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से रकबा 0.8802 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. वादी संख्या 4 नन्दलाल के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा गोराऊ के खेत खसरा नम्बर 747 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से रकबा 0.8802 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. वादी संख्या 1, 3 व 4 क्रमशः छोटूराम, दीपाराम व नन्दलाल के सह हक बंट कब्जे काश्त सहखातेदारी में मौजा गोराऊ के खेत खसरा नम्बर 747 रकबा 3.5855 हैक्टेयर में से रकबा 0.0647 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार शामलाति रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
6. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 क्रमाशः लिछमा, कृष्णकुमार, रामचन्द व मनमोहन के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 17/7/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner